

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या :-19/2017

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

मोहनसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत
निवासी बिनावास, तहसील बिलाड़ा
जिला जोधपुर

- 1- उच्छब कंवर पत्नी उम्मेदसिंह
जाति राजपूत निवासी बिनावास
तहसील बिलाड़ा हाल पालासनी
तहसील व जिला जोधपुर।
- 2- प्रवीण कंवर पत्नी प्रेमसिंह
जाति राजपूत निवासी बिनावास
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
- 3- सरपंच, ग्राम पंचायत चांदेलाव
तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
- 4- ग्राम सेवक एवं सचिव, ग्राम
पंचायत चांदेलाव तहसील बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994
विरुद्ध आबादी भूमि का पट्टा विक्रय विलेख संख्या-61 दिनांक 06.02.
2008 द्वारा ग्राम पंचायत चांदेलाव।

उपस्थिति:-

आदेश दिनांक 21.05.2018

- 1- श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)
- 2- श्री मनोहरसिंह शेखावत अधिवक्ता (अप्रार्थी- 1, 2)
- 3- अप्रार्थी- 3, 4 अनुपस्थित।

आदेश

संक्षिप्त में प्रस्तुत पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार हे कि ग्राम बिनावास में
प्रत्यर्थीपक्ष-1 के पक्ष में 30' X 40' वर्गफीट आबादी भूमि का पट्टा विलेख ग्राम
पंचायत चांदेलाव द्वारा दिनांक 06.02.2008 को जारी कर दिया गया, जिससे
व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा
97 के तहत यह निगरानी अप्रार्थी संख्या-1 ता 4 के विरुद्ध अपर कलक्टर
(तृतीय) जोधपुर के समक्ष पेश हुई।

अपर कलक्टर (तृतीय) जोधपुर ने निगरानी दर्ज (11/2009) रजिस्टर

कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अमिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी-1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रराज चौधरी एवं अप्रार्थी-4 की ओर से अधिवक्त रितुराजसिंह भाटी ने वकालतनामे पेश किये। अप्रार्थी-2 की ओर से वकील श्री मनोहरसिंह शेखावत ने भी वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 1, 2, 4 की ओर से जबाब भी पेश हो चुका है। अप्रार्थी-3 का नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित। इस न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी-प्रवीण कंवर की ओर से एक प्रार्थना-पत्र बाबत् अपर कलक्टर (तृतीय) जोधपुर के समक्ष विचाराधीन उक्त पंचायत निगरानी में सुनवाई में न्याय न मिलने का पेश हुआ, जिस पर दोनों पक्षों की सुनवाई कर प्रकरण को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए मुंतकिल करने का आदेश दिनांक 21.06.2017 दिया गया। मूल निगरानी पत्रावली मय निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्राप्त हुए।

1-ग्राम पंचायत चांदेलाव की मिसल सं0 11/2007-08 ग्राम बीनावास निर्णय दिनांक 06.02.2008

2-ग्राम पंचायत कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 20.05.2004 से 22.01.08

3-ग्राम पंचायत चांदेलाव पट्टा रजिस्टर पट्टा नं. 51 से 69 तक

न्यायालय के समक्ष स्थानान्तरित होकर यह निगरानी प्राप्त होने पर दिनांक 17.07.2017 को दर्ज (19/2017) रजिस्टर कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। दिनांक 08.05.2018 को उभयपक्ष के उपस्थित अधिवक्तागण की प्रकरण के गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत चांदेलाव ने अप्रार्थी-1 (उच्छब कंवर) के पक्ष में आबादी भूमि में जो आलौच्य पट्टा विक्रय विलेख जारी किया गया, वो भूमि प्रार्थीपक्ष की पुश्तैनी है तथा संयुक्त परिवार की होने से अकेली अप्रार्थी-एक पट्टा बनाने की अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थी का भाई उम्मेदसिंह (उच्छब कंवर का पति) का देहान्त होने के पश्चात् अप्रार्थी-1 अपने पीयर पालासनी गांव में रहने लग गई थी अतः अप्रार्थी-एक का निवास बिनावास में नहीं रहने के उपरांत भी ग्राम पंचायत चांदेलाव ने नियम विरुद्ध पुश्तैनी सम्पति का बिना बंटवाड़ा किये पट्टा विलेख जारी करने में कानूनी भूल की है। बहस में यह भी बतलाया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतराज नियम, 1996 के नियम 145 से 159 में दी गई प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। मौके का निरीक्षण के लिए निरीक्षण कमेटी का गठन नहीं किया गया, न आपत्तियां आमत्रित करने का नोटिस जारी किये गये। बहस में आगे कहा कि अप्रार्थी-2 का पति प्रेमसिंह ने प्रार्थी की पुश्तैनी मकान को हड़पन की नियत से सरपंच ग्राम पंचायत चांदेलाव से मिलकर अप्रार्थी-एक उच्छब कंवर के नाम से दिनांक 06.02.2008 को पट्टा बनवा कर मकान का बेचान रजिस्ट्री दिनांक 25.03.2008 को अपनी पत्नी प्रवीण कंवर के नाम से करवाई है। पट्टे में विवादग्रस्त मकान के चारों ओर उच्छब कंवर के प्लॉट व बाड़े पड़ौस में बताये गये है तो निर्मित मकान का ही पट्टा कैसे बनाया गया। बहस में आगे यह भी बतलाया गया कि उच्छब कंवर ने ग्राम पंचायत के समक्ष शपथ-पत्र दिया उसके अपनी आयु 60 वर्ष होना बताया और विवादग्रस्त मकान पर कब्जा पिछले 52

साल से होना कहा अतः अप्रार्थी—एक का कब्जा 52 साल से कैसे हो सकता है। विवादग्रस्त मकान प्रार्थीगण रामसिंह द्वारा बनाया गया अतः उक्त पुश्तैनी मकान में रामसिंह के सभी उत्तराधिकारियों का बराबर अधिकार बनता है अतः मकान का एकमात्र उच्छबकंवर को मालिक मानकर ग्राम पंचायत से पट्टा विलेख जारी करने में भारी भूल की है अन्त में निगरानी स्वीकार कर आलौय पट्टा निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थीपक्ष 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शेखावत ने बहस में बतलाया कि विवादग्रस्त प्रार्थीपक्ष अपने स्वामित्व या कब्जा होने का क्लेम करता है तो स्वामित्व या कब्जा तय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अप्रार्थी—एक का पति उम्मेदसिंह जो प्रार्थी का भाई है, ने अपने जीवनकाल में विवादित मकान का निर्माण करवाया तथा अप्रार्थीनी—एक अपने पति के जीवनकाल से पट्टा बनने तक इसी विवादग्रस्त मकान में निवास कर रही है तथा आज भी प्रवीणकंवर की सहमति से विवादग्रस्त मकान में निवास कर रही है तथा अप्रार्थीनी—एक का राशन कार्ड, वोटर कार्ड सभी ग्राम बिनावास के बने हुए हैं अतः यह कहना गलत है कि अप्रार्थीनी—एक के पति का देहांत होने के पश्चात् वो ग्राम बिनावास में निवास नहीं करती है। अप्रार्थीनी—एक विधवा औरत को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थी ने अपनी बहनों के नाम से स्वयं ने आममुखत्यारनामा लेकर सिविल वाद भी पेश किया गया जो अभी विचाराधीन है। ग्राम पंचायत ने विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है अतः विवादग्रस्त जायदाद मात्र पुश्तैनी होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। अपनी बहस में यह भी कहा कि वर्ष 1960 में मौजिज लोगों की उपस्थिति में प्रार्थी व उसके परिवारजन के मध्य लिखित एक पारिवारिक समझौता हुआ जिसके अनुसार ग्राम बिनावास में मकान है वो उम्मेदसिंह के हिस्से में रहना बताया है व रामसिंहजी से परसनल जायदाद भी उम्मेदसिंह की होनी बताई तथा उक्त समझौता पर स्वयं मोहनसिंह के हस्ताक्षर किये हुए हैं अतः प्रार्थी का यह कहना गलत है कि विवादग्रस्त मकान पुश्तैनी होने से अकेली उच्छब कंवर के नाम से पट्टा बनाना विधि विरुद्ध है। अन्त में निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी—3, 4 की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं रहे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 एवं प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अप्रार्थी—1, 2 की ओर से प्रार्थी की बहनों एवं प्रार्थी, अप्रार्थीया—एक के मध्य पुश्तैनी सम्पत्ति को लेकर सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने एवं अप्रार्थी—1, 2 की ओर से वर्ष 1960 में मौजिज लोगों की उपस्थिति में प्रार्थी व उसके परिवारजन के मध्य कथित लिखित एक पारिवारिक समझौता होने के दस्तावेज भी पेश हुए एवं कथित समझौता में ग्राम बिनावास में मकान है वो उम्मेदसिंह के हिस्से में रहना बताया है व रामसिंहजी से परसनल जायदाद भी उम्मेदसिंह की होनी बताई है। पंचायत कार्यालय से प्राप्त मूल अभिलेख के अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि दिनांक 05.12.07 को अप्रार्थीया उच्छबकंवर की ओर से पुश्तैनी मकान 52 वर्षों से निर्मित होने के कारण पट्टा विलेख जारी

लगातार...

करने का प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष पेश होने पर प्रस्ताव संख्या-2 के अनुसार निर्मित मकान व प्लॉट के निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया। दिनांक 22.12.07 को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बिना आपत्तियां निर्मित मकान 52 वर्षों से निर्मित होना माना गया। राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 148 के अनुसार विवादित भूमि बाबत 30 दिन में आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस भी जारी किये गये। ग्राम पंचायत की कार्यवाही बैठक दिनांक 22.01.2008 प्रस्ताव-2 के अनुसार एक माह के भीतर कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थीया-उच्छबकंवर को आगामी बैठक दिनांक 06.02.2008 को दो मौतबिरान, शपथ-पत्र एव पहिचान पत्र पेश करने के निर्देश दिये गये।

बैठक कार्यवाही दिनांक 06.02.08 के प्रस्ताव संख्या-एक के अनुसार तीन पंचों की गठित मौका निरीक्षण दल की रिपोर्ट एवं दो स्वतंत्र साक्षी के बयानों एवं शपथ-पत्र के अनुसार अप्रार्थीया उच्छबकंवर का विवादित मकान 52 वर्ष से निर्मित होना माना गया तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 150 से 156 तक कार्यवाही नहीं करने का निर्णय लेते हुए नियम 157(ख) के तहत सर्व सहमति से ग्राम पंचायत चांदेलाव ने अप्रार्थीया-एक के पक्ष में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान पंचायतजीराज नियम, 1996 के नियम 157 में स्पष्ट किया गया कि पुराने जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहता हो तो वह निम्न अनुसार राशि जमा कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा-

(क) 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100.00 रूपये

(ख) 50 वर्षों का दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200.00 रूपये

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की सूची में सम्मिलित परिवार के लिये खण्ड (क) के अन्तर्गत कोई राशि देय नहीं होगा तथा खण्ड (ख) के अन्तर्गत कुल देय राशि का 10 प्रतिशत देय होगा।

प्रार्थीनी से 200/-रूपये लेकर पट्टा जारी किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत चांदेलाव ने विधिक प्रावधानों के तहत अप्रार्थीया-एक के पक्ष में पट्टा जारी किया गया, वो हस्तक्षेप योग्य नहीं है, परिणामस्वरूप निगरानी निरस्त की जाती है। यह आदेश पक्षकारान के सिविल अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित ग्राम पंचायत को लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।